

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित लेखाकर्मियों की उनके नाम के सामने अंकित आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8)(बी)(III) के अन्तर्गत वित्त विभाग के पत्रांक एफ-2(25)वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 28-07-2015 द्वारा नियमित कर वेतन आहरण कर भुगतान की स्वीकृति प्रदान की है। अतः आदेशों की प्रतीक्षा अवधि का वेतन भुगतान कॉलम संख्या 4 में अंकित विभाग/कार्यालय से किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है:-

क्र.सं	नाम लेखाकर्मियों	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि जो नियमित की गई			विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन का भुगतान किया जावेगा
		कब	से	कब तक	
1	2	3			4

सहायक लेखाधिकारी-I

1	शिवनारायण गर्ग	03.06.2015 to 23.06.2015			निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
2	सुगनाराम गुर्जर	25.05.2015 to 22.06.2015			अति.मुख्य अभियन्ता, रीजन-II, जन स्वा अभि. विभाग जयपुर
3	शोकत अली	02.06.2014 to 19.06.2014			निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
4	वेदप्रकाश शर्मा	02.06.2014 to 19.06.2014			कोषालय अलवर

सहायक लेखाधिकारी-II

1	रमाकान्त सारोलिया	03.06.2015 to 22.06.2015			प्राचार्य, राजकीय कालेज शिक्षा विभाग उच्च जयपुर
2	विनोद कुमार चौहान	02.06.2015 to 22.06.2015			आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग पाली
3	यशवन्त कुमार बथा	01.06.2015 to 22.06.2015			कोषाधिकारी जयपुर शहर जयपुर

(भास्कर शर्मा)

निदेशक

दिनांक: 29/7/2015

क्रमांक: एफ-4(ई)II / एपीओ-2014 / अलेसे-III /
प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

166-186

- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें। (वेबसाइट से)
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन-लेखा अनुभाग) को भेजकर लेख हैं कि सम्बन्धित लेखाकर्मियों का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार ही आदेशों की प्रतीक्षा अवधि के वेतन का भुगतान करावें।
- ए.सी.पी.(उपनिदेशक(आईटी) वित्त भवन, कार्यालय हाजा जयपुर को आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- सहायक निदेशक, अलेसे-I / अलेसे-II / अलेसे-III मय अतिरिक्त प्रतियाँ निजी पत्रावली हेतु
- श्री _____ सहायक लेखाधिकारी-I/II / क0लेखाकार कार्यालय- _____ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपना गत भुगतान प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग / कार्यालय को प्रस्तुत करें एवं प्राप्त भुगतान की सूचना भिजवावें।
- व0 निजी सहायक, निदेशक
- निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)